

तारी
जो
ताम
री हु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 207/2018 GCMS NO. 2018/00238 उनवानी कैलाशी देवी बनाम पतारी देवी आदि अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--

08 08 2024 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता प्रार्थी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर आये। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दायरी से लेकर आज तक अप्रार्थीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



Handwritten signature
08.08/24

(सविता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी